

डेडीकेटेड फ्रेंट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd. A Govt. of India (Ministry of Railway) Enterprises

No.: CPM/MTC/EL/132 kV/TR Line/PGCIL

Date: 23.08.2022

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर

विषय:- डीएफसीसीआईएल द्वारा जमा प्रस्ताव संख्या FP/UP/TRANS/156518/2022 का आपके द्वारा अवलोकित बिन्दुओं की अनुपालना के सम्बंध में

संदर्भ:- 1. DFCCIL Letter संख्या - CPM/MTC/EL/Tr.line (PGCIL) dated 30.06.2022

2. आपका EDS पत्र पत्रांक न॰ 140/14-1(FP/UP/TRANS/156518/2022), दिनांक 14/7/2022 महोदय,

आपके पत्र द्वारा अवलोकित त्रुटियो/अपूर्ण अभिलेखो की बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट निम्नवत प्रस्तुत हैं-

क्रम स॰	आपके द्वारा अवलोकित त्रुटि	अनुपालना
1	प्रस्ताव के साथ सयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट जिसमे प्रोयोक्ता अजेन्सी के हस्ताक्षर अपेक्षित है	सभी संबन्धित रेंज की सयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट क्षेत्रीय वनाधिकारी द्वारा आपके कार्यालय मे प्रेषित की गयी है प्रभागीय महोदय के साथ सयुक्त निरीक्षण का समय आपके द्वारा अपेक्षित है प्रोयोक्ता अजेन्सी आपके द्वारा निर्धारित समय पर सयुक्त निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी
2	प्रस्ताव मे पृष्ठ संख्या एवं अभिलेखो की स्लग्नक संख्या अंकित नहीं की गयी है	प्रस्ताव मे अभिलेखों की संख्या तथा प्रष्ठ सख्या अंकित की गयी है
3	विषय सूची सलग्न नही है	विषय सूची प्रस्ताव के आरंभ मे सलग्न है
4	परियोजना निदेशक के हस्ताक्षर के साथ में हस्ताक्षर का दिनांक अंकित नहीं किया गया है।	प्रत्येक अंडरटेकिंग तथा अन्य दस्तावेज़ों के अंत में प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने वाले अधिकारी का नाम एवं दिनांक मोहर के साथ अंकित कर दिया गया है। साथ ही प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने वाले अधिकारी का अनुमोदन भी सलग्न है।
5	प्रस्ताव मे चेकलिस्ट संख्या 8 व 9 से संबन्धित अभिलेख स्लग्न नहीं किये गये है	पृष्ठ संख्या ४१-४२ पर स्लग्न है
6	प्रस्ताव मे ETT की वचन बद्धता स्लग्न नहीं की गयी है	पृष्ठ संख्या 55 पर स्लग्न है
7	प्रस्ताव मे कम से कम वृक्षों के पातन के संबंध मे वचन बद्धता स्लग्न नहीं की गयी है	पृष्ठ संख्या 67 पर स्लग्न है
8	प्रस्ताव मे जिलाधिकारी का सरलीकृत प्रमाण पत्र स्लग्न नहीं है	आपके कार्यालय में सरलीकृत प्रमाण पत्र की 6 प्रतिया जमा करायी जा रही है आपसे निवेदन है कि कृपया कर प्रस्ताव को जिलाधिकारी के समक्ष अग्रेषित करे

महोदय आपसे निवेदन है कि बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर वन भूमि से संबन्धित प्रस्ताव संख्या FP/UP/TRANS/156050/2022 पर आगे की कार्यवाही करने की कृपा करे| धन्यवाद|

उप परियोजना प्रबन्धक

Dy. Project Manager (Electrical) उप परियोजना प्रबन्धक (विद्युत)

FORM-1

(for plantation on non-forest land and notified as "protected forest " on or after 13th December 1930 and located in villages having no record Scheduled Tribe population as per 2001 and 2011 Census)

[Rule 6(3) (e) of forest (Conservation rule 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector- Muzaffarnagar

Letter No. Dated:

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3) (e) of forest (Conservation rule 2003 as amended vide the Forest (Conservation) amendment rule 2014; Forest (Conservation) amendment rule 2016) it is certified that **0.1701** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, A Govt of India (Ministry of Railway) Enterprise [DFCCIL] is establishing **132 KV D/C Talheri TSS (DFCCIL)- Jarauda Nara TSS (Railway) Transmission line falling in Muzaffarnagar District (Uttar Pradesh"** apart Muzaffarnagar-Shamli-Kairana Road at Village Pinna (Location no.-AP 35/0 to AP- 36/0), Dehli -Roorkee-Masoori (D.R.M.) Road at Village Bahadurpur (Location no.-AP 50/0 to AP- 51/0) falls within the jurisdiction of Muzaffarnagar district, Tehsil- Muzaffarnagar, village, Pinna and Village Bahadurpur having no record population of Scheduled Tribes as per census of India 2001 and 2011. It is further certified that:

- (a) The Protected Forest (s) namely Muzaffarnagar-Shamli-Kairana Road & Dehli -Roorkee-Masoori (D.R.M.) Road, involved in the above villages are plantation raised on non-forest land on or after 13th December 1930 and were notified as PF vide Gazette notification no(s) 115/XIV-331-50, Dated 10.02.1960.
- (b) Therefore, these PFs neither having Schedules Tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (residing in the PFs for more than 75 years) having rights recognized under Forest Right Act, 2006.

(Kanhiya Patel)
Divisional Forest officer
Social Forestry Division

District Social Welfare officer

Muzaffarnagar

Muzaffarnagar

(Mr. Chandra Bhushan Singh, IAS)

District Magistrate

Muzaffarnagar